

## आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

फ्रमांक: एफ 4 (229)आकाशी/नि.सं./2013/

/ 15  
आदेश

दिनांक: 29/2/2016

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को सत्र 2015-16 से नवीन विषय/संकाय में  
एक वर्ष के लिये अरथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है:-

महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	विषय/ संकाय
श्री कृष्ण सहशिक्षा महाविद्यालय, मुण्डावर रोड, हरसौली, अलवर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर / राजर्षि भर्तहरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर।	नवीन संकाय स्नातक पत्र- विज्ञान संकाय- रसायन शास्त्र, भौतिकशास्त्र, यनरप्ति शास्त्र, प्राणीशास्त्र, गणित। वाणिज्य संकाय- एबीएसटी, ईएफएम, व्यावसायिक प्रशासन।

- संस्था सत्र 2016-17 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
- संस्था संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बी0सी0आई0 से मान्यता व विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कॉलेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तथा संख्या सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
- सरका को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात तीन सत्रों में मापदण्डानुसार रखवं की भूमि पर महाविद्यालय भवन
- (विभाग द्वारा तथा मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
- संबंधित संस्था द्वारा भूमि रूपांतरण अवश्य करवाया जायेगा इसके अभाव में अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा सकता है।
- महाविद्यालय भवन का निर्माण संबंधित सक्षम स्थानीय निकाय/नगर नियोजन विभाग द्वारा स्वीकृत मानविक्री के अनुरूप किया जायेगा।
- संस्था द्वारा यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति की जानी होगी।
- संबंधित विश्वविद्यालय से स्टॉफ के अनुमोदन का दायित्व संस्था का रहेगा।
- आवश्यकतानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/ महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
- संस्था द्वारा रथायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था सांख्यिकी पुस्तिका एवं विदरणिका प्रतिवर्ष पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयावधि में आयुक्तालय में जमा करायेंगी।
- मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट [www.dce.rajasthan.gov.in](http://www.dce.rajasthan.gov.in) पर उपलब्ध है।
- संस्था द्वारा एन०एस०एस०/एन०सी०सी०/रोवरिंग एवं रेजरिंग (स्काउट/गाईड) में से किसी भी एक सहशैक्षणिक गतिविधि में विद्यार्थी को भाग दिलाना होगा। इसकी सूचना समन्वयक एन०एस०एस०, कॉलेज शिक्षा को संबंधित अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर सहित दिसम्बर तक करवायेंगे।
- राज्य सरकार की महाविद्यालय संबंधी प्रवेश नीति 2015-16 तथा बाद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल [aishe.nic.in](http://aishe.nic.in) पर महाविद्यालय को एजिस्टर करवाकर DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस डाटा के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर महाविद्यालय की जानकारी सामान्य जन एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
- उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अरथाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आमुखी,  
कॉलेज शिक्षा, राज०, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलेक्टर, अलवर।
- कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/राजर्षि भर्तहरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर।
- संबंधित संस्था/ महाविद्यालय।
- सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- एक्सित पत्रावली।

टेक्स्ट नं. ४८०८८